1) PS
2) Steno Gr II
3) Steno Gr- III

रजिस्ट्री सं० डी एल(एन)-04/0007/2003-05

REGD. NO. D L(N)-04/0007/2003-05

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

**PUBLISHED BY AUTHORITY**

साप्ताहिक

**WEEKLY**

सं. 23 ] नई दिल्ली, मई 29—जून 4, 2005, शनिवार/ज्येष्ठ 8—ज्येष्ठ 14, 1927

**No. 23] NEW DELHI, MAY 29—JUNE 4, 2005, SATURDAY/JYAISTHA 8—JYAISTHA 14, 1927**

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

**Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

**PART II—Section 3—Sub-section (i)**

भारत सरकार के मंत्रालयों ( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) और केन्द्रीय अधिकारियों ( संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर ) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम ( जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं )

**General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)**

## पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय

### पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय

शिलांग, 8 मार्च, 2005

**सा.का.नि. 179.**—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय, शिलांग (वर्ग 'ख' पद) भर्ती नियम, 1986, जहां तक वे निजी सचिव और आशुलिपिक ग्रेड I के पदों के संबंध में हैं, का अधिक्रमण करते हुए, परन्तु ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या करने के लिए आस्थगित बातों को छोड़कर, राष्ट्रपति एतद्द्वारा पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय में निजी सचिव के पद की भर्ती प्रणाली को विनियमित करने वाले नियम बनाते हैं; नामत :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**—( 1 ) इन नियमों को पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय, शिलांग, निजी सचिव, वर्ग 'ख' पद भर्ती नियम, 2005 कहा जाएगा।

( 2 ) ये भर्ती नियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने के दिन से प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान** : पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संबंधित वेतनमान, इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कालम 2 से 4 में यथा विनिर्दिष्ट के अनुसार होंगे।

3. **भर्ती प्रणाली, आयु सीमा, अर्हता आदि** : उक्त पदों की भर्ती प्रणाली, आयु सीमा, अर्हता तथा उनसे संबंधित अन्य बातें पूर्वोक्त अनुसूची के कालम 5 से 14 में विनिर्दिष्ट के अनुसार होंगी।

4. **अनर्हता :** जिसने,—

(क) किसी ऐसी महिला/पुरुष से विवाह किया हो जिसके पति/पत्नी जीवित हों; या

(ख) पति/पत्नी के जीवित रहते हुए किसी से विवाह किया हो;

वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और भी कि केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसे व्यक्ति और दूसरे पक्ष पर लागू होने वाली स्वीय विधि में इस प्रकार का विवाह अनुज्ञेय है, इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

5. **शिथिल करने की शक्ति :** जहां केन्द्र सरकार के मत के अनुसार ऐसा किया जाना आवश्यक और समीचीन है, वहां लिखित रूप में रिकार्ड किए जाने वाले कारणों से और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से केन्द्र सरकार व्यक्तियों के किसी वर्ग और श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किसी उपबंध को शिथिल कर सकती है।

6. **व्यावृत्ति :** इन नियमों से केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और विशेष श्रेणी के अन्य व्यक्तियों को दिए जाने वाले आरक्षण, आयु सीमा में शिथिलता और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

## अनुसूची

| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतनमान | प्रवरण पद या गैर प्रवरण पद |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| निजी सचिव | 5* (2005)<br>*कार्यभार के आधार पर पदों की संख्या में अन्तर आ सकता है। | सामान्य केन्द्रीय सेवा, वर्ग 'ख', राजपत्रित, अनुसचिवीय | रु. 6500-200-10500 | प्रवरण |

| क्या जोड़े गए सेवा वर्षों के लाभ केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के तहत देय हैं | सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति पाने वालों के लिए आयु-सीमा | सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति पाने वालों के लिए शैक्षिक अर्हताएं | क्या सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति पाने वाले व्यक्तियों की अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | दो वर्ष |

| **भर्ती प्रणाली :** सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न प्रणालियों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत | यदि भर्ती, प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा की जाती है तो वे ग्रेड जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा |
|---|---|
| 11 | 12 |
| प्रोन्नति | **प्रोन्नति :**<br>ग्रेड में छह वर्ष की नियमित सेवा सहित आशुलिपिक ग्रेड-II<br>**नोट :** जहां अर्हता/पात्रता प्राप्त करने वाले कनिष्ठ कर्मचारियों की प्रेन्नति पर विचार किया जा रहा हो वहां उनसे वरिष्ठ कर्मचारियों की प्रोन्नति पर भी विचार किया जाएगा परन्तु यह और कि उनकी अर्हता/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हता/पात्रता सेवा वर्ष के आधे से अधिक या दो वर्ष से कम न हो और उन्होंने ऐसी अर्हता/पात्रता सेवा पूरी कर चुके अपने से कनिष्ठ कर्मचारियों के साथ अगले उच्च ग्रेड प्रान्नति के लिए परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरा किया है। |

| यदि कोई विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना क्या है | जिन परिस्थितियों में भर्ती के संबंध में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा |
|---|---|
| 13 | 14 |
| **वर्ग 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति ( प्रोन्नति पर विचार करने के लिए ) में निम्नलिखित शामिल होंगे :—**<br>1. सचिव, पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय, शिलांग —अध्यक्ष<br>2. उप सचिव, पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय —सदस्य | इन नियमों के उपबंधों में संशोधन/शिथिल करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श आवश्यक होगा। |

[सं. एनईसी/एडीएम/12/2003]

राजीव माथुर, उप सचिव

**MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION**

NORTH EASTERN COUNCIL SECRETARIAT

Shillong, the 8th March, 2005

**G.S.R. 179.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of the North Eastern Council Secretariat, Shillong (Group 'B' posts) Recruitment Rules, 1986, in so far as they relate to the posts of Private Secretary and Stenographer Gr. I, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Private Secretary in the North Eastern Council Secretariat, Shillong, namely :—

1. **Short Title and Commencement.**—(1) These rules may be called North Eastern Council Secretariat, Shillong, Private Secretary Group 'B' Post Recruitment Rules, 2005.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and scale of pay.**—The number of posts, their classification and the scale of pay attached thereto, shall be as specified in Columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications etc.**—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect of any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

**SCHEDULE**

| Name of the post | Number of posts | Classification | Scale of Pay | Whether selection or Non-selection Post | Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Service (Pension) Rules 1972 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Private Secretary | 5* (2005) *Subject to variation dependent on work-load. | General Central Service Group 'B', Gazetted, Ministerial | Rs. 6500-200 10500 | Selection | Not applicable |

| Age limit for direct recruits | Educational qualification required for direct recruits | Whether age and qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees | Period of probation, if any |
|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 | 10 |
| Not applicable | Not applicable | Not applicable | Two years |

| Method of recruitment whether by direct recruit or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods | In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made |
|---|---|
| 11 | 12 |
| Promotion | **Promotion :** Stenographer Grade-II with six year's regular service in the grade. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying/ eligibility service are being considered for promotion. Their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have alredy completed such qualifying/eligibility service. |

| If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition | Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment |
|---|---|
| 13 | 14 |
| **Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :—** 1. Secretary, North Eastern Council Secretariat —Chairman 2. Deputy Secretary, North Eastern Council Secretariat —Member | Consultation with Union Public Service Commission necessary for amendment/ relaxation of the provisions of these Rules |

[No. NEC/ADM/12/2003]

RAJEEV MATHUR, Dy. Secy.

शिलांग, 16 मई, 2005

**सा.का.नि. 180.**—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पूर्वोत्तर परिषद्, सचिवालय, शिलांग (आशुलिपिक ग्रेड-II के वर्ग 'ग' पद) भर्ती नियम, 1995, और पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय, शिलांग (आशुलिपिक ग्रेड-III पद) भर्ती नियम, 1995 का अधिक्रमण करते हुए, परन्तु ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या करने के लिए आस्थगित बातों को छोड़कर, राष्ट्रपति एतद्द्वारा पूर्वोत्तर परिषद्, सचिवालय शिलांग में आशुलिपिक ग्रेड-II और आशुलिपिक ग्रेड-III के पदों पर भर्ती को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं; नामत: —

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों को पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय, शिलांग, (आशुलिपिक ग्रेड-II और आशुलिपिक ग्रेड-III) वर्ग 'ग' भर्ती नियम, 2005 कहा जाएगा।

(2) ये भर्ती नियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने के दिन से प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना.**—ये नियम, संलग्न अनुसूची के कालम 1 में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**— उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संबंधित वेतनमान, इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कालम 2 से 4 में यथा विनिर्दिष्ट के अनुसार होंगे।

4. **भर्ती प्रणाली, आयु सीमा, अर्हता आदि.**—उक्त पदों की भर्ती प्रणाली, आयु सीमा, अर्हता तथा उनसे संबंधित अन्य बातें पूर्वोक्त अनुसूची के कालम 5 से 14 में विनिर्दिष्ट के अनुसार होंगी।

5. **अनर्हता.**— जिसने,—

(क) किसी ऐसी महिला/पुरुष से विवाह किया हो जिसके पति/पत्नी जीवित हों; या

(ख) पति/पत्नी के जीवित रहते हुए किसी से विवाह किया हो;

वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और भी कि केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसे व्यक्ति और दूसरे पक्ष पर लागू होने वाली स्वीय विधि में इस प्रकार का विवाह अनुज्ञेय है, इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

6. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्र सरकार के मत के अनुसार ऐसा किया जाना आवश्यक और समीचीन है, वहां लिखित रूप में रिकार्ड किए जाने वाले कारणों से और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से केन्द्र सरकार व्यक्तियों के किसी वर्ग और श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किसी उपबंध को शिथिल कर सकती है।

## अनुसूची

| पद का नाम | पद की संख्या | वर्गीकरण | वेतनमान | प्रवरण पद या गैर प्रवरण पद |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| आशुलिपिक ग्रेड-II | 20* (2005)<br>*कार्यभार के आधार पर पदों की संख्या में अन्तर आ सकता है। | सामान्य केन्द्रीय सेवा, वर्ग 'ग', (अराजपत्रित) | रु. 5000-150-8000 | गैर-प्रवरण |

| क्या जोड़े गए सेवा वर्षों के लाभ केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 20 के के तहत देय है | सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति पाने वालों के लिए आयु-सीमा | सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति पाने वालों के लिए शैक्षिक अर्हताएं | क्या सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति पाने वाले व्यक्तियों की अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |

1576 GI/05-2

| भर्ती प्रणाली : सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न प्रणालियों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत | यदि भर्ती, प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा की जाती है तो वे ग्रेड जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा |
|---|---|
| 11 | 12 |
| प्रोन्नति द्वारा वैसा न हो सकने की स्थिति में प्रतिनियुक्ति द्वारा | **प्रोन्नति :**<br>ग्रेड में नियुक्ति के बाद आठ वर्ष की नियमित सेवा सहित आशुलिपिक ग्रेड-III।<br>**नोट :** जहां अर्हता/पात्रता प्राप्त करने वाले कनिष्ठ कर्मचारियों की प्रोन्नति पर विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे वरिष्ठ कर्मचारियों की प्रोन्नति पर भी विचार किया जाएगा परन्तु यह और कि उनकी अपेक्षित अर्हता/पात्रता निर्धारित अर्हता/पात्रता सेवा वर्ष से अधिक से अधिक एक वर्ष कम हो।<br>**प्रतिनियुक्ति :**<br>केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या सांविधिक संगठनों में सदृश पद धारण किए हुए या रु. 4000-100-6000 के वेतनमान के पद पर 8 वर्ष की नियमित सेवा वाले अधिकारी या समकक्ष।<br>(केन्द्र सरकार के उसी संगठन/विभाग में नियुक्ति के तत्काल पहले अन्य गैर निसंवर्गीय पद पर प्रतिनियुक्ति सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यत: तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।)<br>प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। |

| यदि कोई विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना क्या है | जिन परिस्थितियों में भर्ती के संबंध में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा |
|---|---|
| 13 | 14 |
| **वर्ग 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित शामिल होंगे :—**<br>1. निदेशक/उप सचिव, पूर्वोत्तर परिषद सचिवालय, शिलांग —अध्यक्ष<br>2. सहायक पोस्ट मास्टर जनरल (स्टाफ/लेखा) पोस्ट मास्टर जनरल का कार्यालय, शिलांग —सदस्य | इन नियमों के उपबंधों को संशोधित/शिथिल करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श आवश्यक होगा। |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| स्टेनोग्राफर ग्रेड-III | 8* (2005)<br>*कार्यभार के आधार पर पदों की संख्या में अन्तर आ सकता है। | सामान्य केन्द्रीय सेवा, वर्ग 'ग', अराजपत्रित | रु. 4000-100-6000 | गैर-प्रवरण |

| 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|
| 18—25 वर्ष (केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सामान्य श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों के लिए 40 वर्ष तक और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के सरकारी कर्मचारियों के मामले में 45 वर्ष तक शिथिलनीय) | लागू नहीं | **अनिवार्य :**<br>(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से मैट्रिकुलेट या समकक्ष<br>(ii) अंग्रेजी आशुलिपि में प्रति मिनट 80 शब्द और अंग्रेजी टंकण में प्रति मिनट 40 शब्द की गति | लागू नहीं |

| 10 | 11 | (12) |
|---|---|---|
| दो वर्ष | 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा और 50 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा।<br>नोट : पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर जाने या लम्बी बीमारी या अध्ययन अवकाश या अन्य किसी परिस्थिति में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए हुई रिक्ति को केन्द्र सरकार में नियमित आधार पर समान पद धारण करने वाले और कालम 8 के अंतर्गत सीधी भर्ती के लिए निर्धारित अर्हताएं रखने वाले कर्मचारियों से प्रतिनियुक्ति आधार पर भरा जा सकता है। | **प्रतिनियुक्ति/आमेलन**<br>केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के अंतर्गत नियमित आधार पर सदृश पदधारी अधिकारी<br>(केन्द्र सरकार के उसी संगठन/विभाग में नियुक्ति के तत्काल पहले अन्य गैर नि:संवर्गीय पद पर प्रतिनियुक्ति सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्ययत: तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी)<br>प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। |

| 13 | 14 |
|---|---|
| वर्ग 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति/स्थायीकरण पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित शामिल होंगे :—<br>1. निदेशक/उप सचिव, परिषद् सचिवालय, शिलांग —अध्यक्ष<br>2. सहायक पोस्ट मास्टर जनरल (स्टाफ/लेखा) पोस्ट मास्टर जनरल का कार्यालय, शिलांग —सदस्य | लागू नहीं |

[सं. एनईसी/एडीएम/12/2003]

राजीव माथुर, उप सचिव

Shillong, the 16th March, 2005

**G.S.R. 180.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of the North Eastern Council Secretariat, Shillong (Group 'C' posts of Stenographer Grade II) Recruitment Rules, 1995 and North Eastern Council Secretariat, Shillong (Stenographer Grade III post), Recruitment Rules, 1995, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Stenographer Grade II and Stenographer Grade III in the North Eastern Council Secretariat, Shillong, namely :—

1. **Short Title and Commencement.**—(1) These rules may be called North Eastern Council Secretariat, Shillong, (Stenographer Grade II and Stenographer Grade III), Group 'C' Recruitment Rules, 2005.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of post, classification and scale of pay.**—The number of posts, their classification and scale of pay attached thereto, shall be as specified in Columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit, qualifications etc.**—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be specified or in columns 5 to 14 of the aforesaid Schedule.

5. **Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rules.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect of any class or category of persons.

**SCHEDULE**

| Name of the post | Number of post | Classification | Scale of Pay | Whether selection or Non-selection post | Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Service (Pension) Rules 1972 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Stenographer Grade II | 20* (2005) *Subject to variation dependent on work-load. | General Central Service Group 'C', (Non-Gazetted) | Rs. 5000-150-8000 | Non-selection | Not applicable |

| Age limit for direct recruits | Educational qualifications required for direct recruits | Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees | Period of probation, if any |
|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 | 10 |
| Not applicable | Not applicable | Not applicable | Not applicable |

| Method of recruitment whether by direct recruit or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods | In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made |
|---|---|
| 11 | 12 |
| By Promotion, failing which by deputation | **Promotion :**<br>Stenographer Grade-III with eight year's regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis.<br>Note: Where juniors who have completed their qualifying/ eligibility service are being considered for promation, their seniors would also be considered peovided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than one year and have successfully completed their probation period, if prescribed.<br>**Deputation :**<br>Officers under the Central Government or State Government or Union Territories or Statutory Organisations holding analogous post or with eight years regular service in post in the scale of Rs. 4000-100-6000 or equivalent.<br>(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organization/Department of the Central Government, shall ordinarily not exceed three years.<br>The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application). |

| If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition | Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment. |
|---|---|
| 13 | 14 |
| Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :—<br>1. Director/Deputy Secretary, North Eastern Council/Secretariat —Chairman<br>2. Assistant Post Master General (Staff/Accounts) Post Master General's Office, Shillong —Member | Not applicable |